संख्या : 1361/69-1-55 (बजट)/97

प्रेषक,

श्री टीकम सिंह पंवार,
अनुसूचित,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
राज्य नागर विकास अभिकरण,
उ.प्र. लखनऊ।

लखनऊः दिनांक 4 दिसम्बर, 1997

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

विषय : **केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री की एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रधानमंत्री की एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के राज्यांश के रूप में योजना के कार्यान्वयन के लिए रूपये 448,71000 (रु. चार करोड़ अड़तालीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) का अनुदान राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. को निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) यह कि उक्त स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में 31 अक्टूबर 1997 तक अवश्य कर लिया जाय। स्वीकृत की गई धनराशि का आहरण प्रमुख सचिव, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र., शासन के प्रति हस्ताक्षरोपरान्त निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र., लखनऊ द्वारा देयक प्रपत्र तैयार कराकर किया जायेगा।

(2) प्रत्येक आहरण को सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा) उ.प्र., इलाहाबाद कोआदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम बाउचर संख्या, तिथि शीर्षक की सूचना एक माह के भीतर अवश्य भेज दी जाय।

(3) इस धनराशि का तत्परता से उपयोग करा लिया जाय और उसके बाद तुरन्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/राज्य सरकार व महालेखाकार उ.प्र., इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित/दुरुपयोग धनराशि यदि कोई हो एक मुश्त शासन को वापस करनी होगी।

(4) निदेशक/सचिव, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. लखनऊ योजना की मासिक प्रगति रिर्पोट शासन को नियमित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

(5) इस शासनोदश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्यवरिष्ठ/लेखाकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों को किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

(6) उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के अनुदान संख्याः 37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित लेखा शीर्षक क` नाम डाला जायेगाः-

(धनराशि लाख रु. में)

2230-श्रम तथा रोजगार-आयोजनागत- 02-रोजगार-101-रोजगार सेवायें-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0109-प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगार सृजन की योजना 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	रू.	46.37
2217-शहरी विकास-80 सामान्य-191- स्थानीय निकायों, नगर विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0104-प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय मलिन बस्तियों मे पर्यावरण सुधार के अन्तर्गत भौतिक सुधार के अन्तर्गत भौतिक सुविधायें। 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायक	रू.	315.77
0105-प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय स्थायी मलिन बस्तियों के नागरिकों को मूलभूत सुविधायें 20-सहायक/अंशदान/राज सहायता	रू.	14.12
0106-प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण नगर हेतु भौतिक सुविधायें उपलब्ध करानें की योजना 20-सहायक अनुदार/अंशदान/राज सहायता	रू.	35.33
0107-प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आश्रय		

सुधार योजना		
20-सहायक अनुदार/अंशदान/राज सहायता	रू.	45.49
0108-प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मूलभूत सामाजिक सुविधाओं की योजना		
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	रू.	06.17
0109-प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुद्देशीय सामुदायिक केन्द्र की योजना		
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	रू.	15.46
योग-	रू.	**4,4871**

(रूपये चार करोड़ अड़तालिस लाख इकहत्तर हजार मात्र)

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-6-2083/दस/97 दिनांक 1/9/97 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
अनुसचिव

संख्याः **1361/69-1-97-55** (बजट)/**97**, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. निदेशक, (ई एण्ड पी.ए.) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेख, उ.प्र., कमला नेहरू पार्क इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, नियोजन अनुभाग-4।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र.।
7. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अनुसचिव।